Date
25/04/2020

Subject – New Efforts in Elementary Education, D.El.Ed. 2nd Sem.

Topic – Concise Knowledge about Education of Post – Independence

* सन 1813 का आज्ञापत्र ⇒ कम्पनी के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा सन 1813 मे एक आज्ञापत्र जारी किया गया। जिसके अनुसार –

i) किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियो को भारत मे प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म तथा शिक्षा के प्रचार – प्रसार की पूरी छूट होगी।

ii) अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशो मे शिक्षा की व्यवस्था करें।

iii) प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रख – रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानो के प्रोत्साहन और भारत मे ब्रिटिश शासित क्षेत्र मे रहने वालो को विज्ञान का ज्ञान कराने मे किया जाये।

* प्राच्य – पाश्चात्य विवाद

सन 1813 के आज्ञापत्र मे निर्देश था। ब्रिटिश कम्पनी शासित क्षेत्रो मे शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी का उत्तरदायित्व होगा, परन्तु शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट नही किया गया।

नोट– धारा 43 मे एक लाख रुपये की धनराशी के लिए साहित्य और भारतीय विज्ञान की व्याख्या नही की गयी थी।

P.T.O.

प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर।
फलतः इस प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हुआ।

1813 के आज्ञा-पत्र धारा 43 में विवाद के मुख्य तीन कारण थे।—

1:) रू 1 लाख की राशी का व्यय किस प्रकार हो।

2:) भारतीय विद्वान के अन्तर्गत किन-किन विद्वानो को रखा जाए तथा

3:) साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए?

शिक्षा जगत मे इस विवाद को 'प्राच्य-पाश्चात्य विवाद' के नाम से जाना जाता है।

यह विवाद सन 1834 तक चलता रहा। अन्त मे, 1835 मे लोक शिक्षा समिति के मन्त्री ने दोनो दलो के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया।

* 1833 का आज्ञा पत्र :- सन 1813 से 20 वर्ष ——— " ——— " ——— पश्चात 1833 मे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया -

(i) बंगाल प्रान्त का गवर्नर जनरल होगा। और अन्य प्रान्तो के गवर्नर कुछ मामलो मे उसके आधीन होगें;

(ii) गवर्नर जनरल की काउन्सलिंग मे एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामलें मे कानून से अवगत कराएगा।

(iii) 1813 के आज्ञा पत्र मे स्वीकृत धनराशी 1 लाख रु० प्रतिवर्ष थी। यह अब 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष निश्चित की जाती है।

(iv) किसी भी भारतीय को जाति धर्म या वर्ग के आधार पर कम्पनी मे नौकरी के लिए अयोग्य नही माना जायेगा।

(v) किसी भी देश के ईसाई मिशनरीयो को भारत आने की पूरी छूट होगी। परन्तु वे भारतीयो की धर्म भावना को ठेस नही पहुचायेगे।

Continue- ---

Nidhi Tyagi
25/04/2020